कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़)।

E-mail- eepwdaskote@gmail.com

पत्रांक– 408 / 13 सी0 दिनांक 02-04–2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग पिथौरागढ़
जिला– पिथौरागढ।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में छड़नदेव– न्वाली से रुनडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8435है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या – FP/UK/ROAD/21883/2016)

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के पत्रांक 2097 / 12–1 दिनांक 19–02–2025।

महोदय ,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में उक्त मोटर मार्ग में सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या की हार्ड कॉपी इस कार्यालय के पत्रांक 1085 / 13सी० दिनांक 14.07.2022 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ को प्रेषित की गयी थी।(प्रति संलग्न)नोडल अधिकारी देहरादून के पत्रांक 785 / FP / ROAD / 21883 दिनांक 20.09.2022 को अपर प्रमुख एवं वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्रेषित की गयी है। (प्रति संलग्न) प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग की सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आंख्या दिनांक 11.12.2024 को ऑनलाइन अपलोड की गयी थी। नोडल अधिकारी देहरादून के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पुनः नवीन पत्र के द्वारा प्रेषित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या की हार्ड कॉपी एवं ऑनलाइन पुनः प्रेषित की जा रही है। (प्रति संलग्न) कृपया अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें। ताकि उक्त मोटर मार्ग का कार्य ससमय सम्पादित किया जा सके।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

02/04/25

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)

02/04/25

पत्रांक / 13सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण इन्दिरानगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त अल्मोड़ा।
3. जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़।
4. अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ ।
5. सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 अस्कोट को प्रेषित।
6. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट।
7. खण्डीय अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़)।
E-mail- eepwdaskote@gmail.com

पत्रांक– 404 / 13सी0 दिनांक 01-04- –2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथोरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में छड़नदेव न्वाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8435 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।
(FP/UK/ROAD/21883/2016)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8वी/यू0सी0पी0/06/84/2020 /एफ0सी0/1672 दिनांक 28–10–2020 (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत हैः–

क्र. सं.	शर्ते	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः–** **(क)** वनभूमि द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.687 है0 गैरवानिकी भूमि ग्राम रूनड़ा सिविल खाता न0 10 खसरा नं0 2906, 2907, 2914 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेषी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेषन से बचें। **(ख)** गैरवानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) करने के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। **(ग)** वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	**(क)** प्रस्तावित स्थल के आस–पास क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा कर दी गई है। स्थानीय स्वदेषी प्रजातियों को लगाया जायेगा। **(ख)** क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। (प्रति संलग्न) **(ग)** शर्त मान्य है।
4	**शुद्ध वर्तमान मूल्य–** **(क)** इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006 –एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007– एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.8435 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है। (छाया प्रति संलग्न)

	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राषि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शपथ पत्र संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 50 Trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	शर्त मान्य है।
6	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किए जाएगें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया गया है।
7	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षो के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेष की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया गया है।
8	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिष्चित किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधो की संख्या बढ़ायेगा।	आई0आर0सी0 मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो–बीच पौधो की संख्या बढ़ाई जायेगी।
10	संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रो में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगे।	सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेगें।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानो के अनुसार यदि लागू हो तो उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
12	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
13	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वनभूमि में श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विषेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। (प्रमाण संलग्न)
15	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।
16	परियोजना कार्य के निश्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
17	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	वनभूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
18	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी। वनभूमि किसी एजेन्सी को प्रत्यावर्तित नहीं की जायेगी।

19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु वन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नहीं किया गया है।
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण से विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	निर्धारित शर्तो का पालन किया जायेगा।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वनविभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थित एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाऐगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षो की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मक डिस्पोजल का प्राविधान किया गया है।
22	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	संबंधित अधिनियम का पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई –पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड की गई है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

01/04/25

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़ लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)

पत्रांक /13सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण इन्दिरानगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त अल्मोड़ा।
4. अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ ।
5. सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 अस्कोट।
6. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट।
7. खण्डीय अमीन, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़ लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पत्रांक 3422
फाईल नं० 13 सी
दिनांक 14-12-20

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & फोन 05964-225234

पत्रांकः– 2055 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 07 दिसम्बर, 2020।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अस्कोट, पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव–नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8435 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरुप डिमान्ड नोट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 08 बी/यू0सी0पी0/06/64/2020/एफ.सी./1672 दिनांक 28.10.2020 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 1832/13सी0 दिनांक 07.11.2020।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि आप भारत सरकार के आदेशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें एवं उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं0 04 के कम में उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

क0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	1.8435 हे0	6,99,000/– (ईको क्लास–VI) घनत्व 0.2	12,88,605.50/–
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	3.687 हे0	3,37,184.00	12,43,197.408/–
			योग	25,31,802.908/–

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

श्री कोहली क0 स0
11/12/20
11/12/20

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

इ5159 वाली सड़क

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-06-2021

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6121883775
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/84/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	cd pwd askotePithoragarh
Amount(in Rs)	2531803.~~900~~/-00

Amount in Words :Twenty-Five Lakh Thirty-One Thousand Eight Hundred and Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896121883775 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-06-2021

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6121883775
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/84/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	cd pwd askote Pithoragarh
Amount(in Rs)	2531803.~~900~~/-00

Amount in Words :Twenty-Five Lakh Thirty-One Thousand Eight Hundred and Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896121883775 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

CA

Executive Engine
Constuction Divi
P. W. D. Asko
Inde No. 4

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

22 MAR 2022

Deepak Singh

भारतीय स्टेट बैंक, अस्कोट-05972

22 MAR 2022

...sh Chandra Joshi

Executive Engineer
Constuction Division
P. W. D. Askote
Inde No. 4863

SBINR52022032293766112

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–
8बी/यू.सी.पी./00/84/2020/एफ.सी./1672 दिनांक 28.10.2020 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़
में छड़नदेव–नवाली मोटर मार्ग से रूनडा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.8435 है0 वन भूमि के
बदले 3.687 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि
हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/
2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में
छड़नदेव–नवाली मोटर मार्ग से रूनडा तक मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 1.8435 है0 वन
भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम रूनडा पट्टी पीपली तहसील कनालीछीना के गैर
जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–10 श्रेणी–9(3)ङ बंजर काबिल आबाद के खेत नम्बर
2906 रकबा 0.621 है0, 2907 मध्ये रकबा 1.590 है0, 2914 मध्ये रकबा 1.476 है0 कुल 03 खेतों
की 3.687 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती
है।

तहसीलदार, कनालीछीना स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम
करना सुनिश्चित करें।

दिनांक जुलाई 23, 2021

(आनन्द स्वरूप)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़। दिनांक जुलाई 24, 2021

संख्या– 2131/सात– 26/2020–21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी डीडीहाट।
4. ✓ तहसीलदार कनालीछीना को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

(आनन्द स्वरूप)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

R.K
निर्देशानुसार ... 29-7-2021
सुनिश्चित ... S.A.O
1/7/2021

नकल खतौनी गैर ज० वि० ग्राम- रुनड़ा पट्टी - पीपली तहसील - कनालीछीना
जिला पिथौरागढ़

खाता संख्या	खातेदार का नाम	मौलिक अधिकार का वर्ग	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	मालगुजारी	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं का सारांश
10	बंजर काबिल आबाद श्रेणी 9(3)ङ०	.	1 3 5 24 क्रमशः 152 202 क्रमशः 239 249 256 क्रमशः 474 535 546 क्रमशः 711 712 क्रमशः 2903 2904 2906 2907 2914	1.264 0.135 0.163 0.059 0.705 0.138 0.136 0.356 0.150 0.330 0.339 0.290 1.552 2.145 0.983 0.988 0.621 1.755 1.489		कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 2131/सात- 26/2020-21 दिनांक जुलाई 24, 2021 में उल्लेखित राजस्व अनुभाग के शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17-12-2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार दुइनदेव- नवाली से रुनड़ा मोटर मार्ग निर्माण में आ रही वन भूमि के बदले उपजिलाधिकारी डीडीहाट की सहमति/संस्तुति के आधार पर सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु खसरा संख्या 2906 रकबा 0.621 हे०, 2907 मध्ये रकबा 1.590 हे० 2914 मध्ये रकबा 1.476 हे० कुल भूमि 3.687 हे० वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण। नामान्तरण दर्ज किया,
		योग	218	9.932		

महोदय, मै. ज०वि० खतौनी से नकल तैयार किया,

(योगिता चंद)
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र.....दे.प.पी. 11.11
तहसील- कनालीछीना (पिथौरागढ)

प्रपत्र–43

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ में छड़नदेव–नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

सहायक अभियन्ता ( )
निर्माण ख0 लो0नि0वि
अस्कोट (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT- PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ranjeet Sinha I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated 22/10/16 at time 4.00 P.M...at Pithoragarh in which application claiming rights of Gajari-Runra area measuring 1.8435 hect for the construction of Chharandev Nawali Motor Road to Runra 2.00 Km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the division level committee of Askote division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place-Pithoragarh
Dated: 22/10/16

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

प्रपत्र–23.

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ में छड़नदेव–नवाली मोटर मार्ग से रूनडा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – गाजरी, रूनड़ा

तहसील–कनालीछीना, जिला–पिथौरागढ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ में छड़नदेव–नवाली मोटर मार्ग से रूनडा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 2.00 कि0मी0 + 1 सेतु) परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि 1.8435 हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 1.8435 हे0 वन भूमि का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गाजरी, रूनडा द्वारा दिनांक 30-4-2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गाजरी, रूनडा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–	ह0/–
ग्राम सचिव	ग्राम प्रधान
26/7/016	20/4/2016
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी क्षेत्र कनालीछीना पिथौरागढ	प्रधान ग्राम पंचायत गाजरी क्षे0 ख0 कनालीछीना पिथौरागढ

प्रपत्र–23.1

दिनांकः–30-4-2016को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतः– गाजरी, रूनड़ा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	भुवान दत्त मेहर S/o गणेशदत्त मेहरा	[illegible]
2	मोहन सिंह S/o राम सिंह	मोहन सिंह
3	चन्द्र सिंह S/o गोपाल सिंह	चन्द्र सिंह
4	होशियार सिंह [illegible]	[illegible]
5	[illegible] सिंह S/o राम सिंह	[illegible]
6	[illegible] S/o Late [illegible] सिंह	[illegible]
7	प्रताप सिंह S/o भवान सिंह	[illegible]
8	राजेन्द्र सिंह S/o चन्द्र सिंह	[illegible]
9	[illegible] सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible] सिंह	[illegible]
12	[illegible] सिंह	[illegible] सिंह
13		
14	मान सिंह धामी	मान सिंह धामी
15	[illegible] सिंह	[illegible]
16	गोपाल सिंह	[illegible]
17	[illegible] सिंह	[illegible]
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

30/4/2016

सचिव
ग्राम पंचायत गाजरी

ग्राम विकास अधिकारी

ह0/–
ग्राम प्रधान [illegible] 30/4/2016

प्रधान
ग्राम पंचायत गाजरी
वि0 ख0 [illegible] पिथौरागढ़।

F:\PWD_ASKOTE_LETTER'S\pal\pandey G\PANDEY G Ammin\Month_4_2016\Chodandev-Nwali To Runra

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– **जनपद पिथौरागढ में छड़नदेव–नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य।**

कार्यालय उप जिलाधिकारी,धारचूला

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,धारचूला

अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में छड़नदेव–नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 2.00 कि0मी0 + 1 सेतु) (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि 1.8435 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.8435 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील कनालीछीना) की दिनांक 2/9/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री संतोष कुमार उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री संतोष कुमार उपजिलाधिकारी डीडीहाट ———— अध्यक्ष
2– श्री अनिल कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी डीडीहाट ———— सदस्य
3– श्री राजेन्द्र कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी डीडीहाट सदस्य / सचिव
4– श्री राजू राम बी0डी0सी0 क्षेत्र पीपली ———— सदस्य

S.D.O.

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि छड़नदेव–नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 2.00 कि0मी0 + 1 सेतु) परियोजना हेतु 1.8435 हे0 वनभूमि निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अनिल कुमार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधानों ... माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में छड़नदेव–नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 2.00 कि0मी0 + 1 सेतु) परियोजना के निर्माण हेतु 1.8435 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कनालीछीना
जनपद पिथौरागढ

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कनालीछीना
जनपद पिथौरागढ

FROM -1

GOVERENMENT OF UTTARAKHAND

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR PITHORAARH

No. ...FRA........ Dated. 22/10/2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter no. 11-9/98-EC(pt) dated 3rd august 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes and with MOEF,s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **1.8435** Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Construction Division P.W.D. Askote) for Construction of Chadandev-Nwali To Runra Moter Road. (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh Distt. falls within jurisdication of **Gajri, Runra** in Kanalichhina **Tahsils.**

It is further certified that:-

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out of the entire **1.8435** hectares area proposed for diversion A copy of records of all consolation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha (s) sub- division level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required as required under section 3 (2) of FRA have been completed and the Gram Shabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural at communities

Encl: As above

Signature
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

(Full Name of the official seal of the District Collector)

It is further certified that :

Sl. No.		
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **1.8435** hect. Of forest area proposed for diversion . a copy of records of all consultation and meetings of the forest rights committee are enclosed an annexure I to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging tot scheduled tribes and other Traditional Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of oncerned motor road os affixed the the forest file.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers

Encl: As above

Signature
जिला अधिकारी,
पिथौरागढ़
(Full Name of the official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पिथौरागढ़

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़)।

E-mail- eepwdaskote@gmail.com

पत्रांक- 1085 / 13सी0

दिनांक 14/07 -2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषयः- जनपद पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में छड़नदेव-न्याली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8435 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/21883/2016)

संदर्भः- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8वी/यू0सी0पी0/06/84/2020 /एफ0सी0/1672 दिनांक 28-10-2020 (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत हैः-

क्र. स.	शर्ते	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रस्ताव विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः-** (क) वनभूमि द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.687 है0 गैरवानिकी भूमि ग्राम रूनड़ा सिविल खाता न0 10 खसरा नं0 2906, 2907, 2914 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेशन से बचें।	प्रस्तावित स्थल के आस-पास क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा कर दी गई है। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों का मिश्रित प्लांटेशन किया जायेगा। पौधारोपण योजना क्षेत्र का नाम एवं Corrdinates सहित संलग्न है। (छाया प्रति संलग्न)
	(ख) गैरवानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) करने के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। (ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	शर्त संख्या -3 (क) अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा की गई है।
4	**शुद्ध वर्तमान मूल्य-** (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006 -एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007- एफ0सी0 दिनांक 05. 02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.8435 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए	प्रस्ताव विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है। (छाया प्रति संलग्न)

	शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 50 Trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की दर में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)
6	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किए जाएगें।	प्रस्ताव विभाग द्वारा धनराशि जमा की जा चुकी है। (छाया प्रति संलग्न)
7	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षो के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया गया है।
8	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख /प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है। (छाया प्रति संलग्न)
9	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधो की संख्या बढ़ायेगा।	आई0आर0सी0 मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो–बीच पौधो की संख्या बढ़ाई जायेगी।
10	संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रो में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगे।	सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेगें।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानो के अनुसार यदि लागू हो तो उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
12	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रस्ताव विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
13	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वनभूमि में श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। (प्रमाण संलग्न)
15	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
17	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	वनभूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
18	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित

		नही की जायेगी। वनभूमि किसी एजेन्सी को प्रत्यावर्तित नहीं की जायेगी।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु वन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नहीं किया गया है।
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण से विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	निर्धारित शर्तो का पालन किया जायेगा।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वनविभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थित एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाऐगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षो की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मक डिस्पोजल का प्राविधान किया गया है।
22	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	संबंधित अधिनियम का पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई –पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड की गई है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(इं0 बी0के0 सिन्हा)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)

पत्रांक 1085/13सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण इन्दिरानगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त अल्मोड़ा।
4. अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ ।
5. सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 अस्कोट।
6. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट(पिथौरागढ़)

E:\Amin\Latter Vanbhumi.doc